हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा प्रायद्वीपीय नदियों का जोड़ा जाना

1042. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या **जल संसाधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण द्वारा देश में हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा प्रायद्वीपीय नदियों को जोड़ने के संबंध में किए जा रहे अनुसंधान तथा अध्ययन में अब तक कितनी प्रगति हुई है और उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

(ख) इस योजना की अनुमानित लागत क्या है और इस योजना के कब तक तैयार होने की संभावना है; और

(ग) क्या इस महत्वाकांक्षी योजना को प्रारम्भ करने के लिए कोई तारीख निश्चित की गयी है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) जल संसाधन विकास हेतु राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में हिमालयी नदी विकास तथा प्रायद्वीपीय नदी विकास नामक दो घटक हैं। शुरूआत के तौर पर वर्ष 1982 में स्थापित राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के प्रायद्वीपीय नदी विकास घटक की व्यवहार्यता को स्थापित करने के वास्ते 38.20 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अन्वेषण तथा अध्ययन शुरू किए थे। सातवीं योजना के लिए कार्यक्रम में सवह-जल-,अन्तरण सम्पर्कों (लिंकों) में से पांच की व्यवहार्यता स्थापित करने के वास्ते अपेक्षित नदी बेसिनों, जलाशयों और सम्पर्कों (लिंकों) के आवश्यक अध्ययनों को पूरा करना है। इसके पश्चात् व्यवहार्यता अध्ययनों तथा सह-बेसिन राज्यों की सहमति के आधार पर सम्पर्कों (लिंकों) के संचालन के लिए निवेश के संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

निर्धनों को निःशुल्क कानूनी सहायता

1043. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि निर्धनों को निशुल्क कानूनी सहायता दिये जाने की वर्तमान योजना के अन्तर्गत अधिवक्ताओं को इतना कम पारिश्रमिक दिया जाता है कि वे ऐसे मामलों की पैरवी करना नहीं चाहते हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनके पारिश्रमिक में वृद्धि करने और गरीब लोगों के मामलों की पैरवी करने के लिये अच्छे अधिवक्ताओं को प्रतिनियुक्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ मामलों को छोड़कर किसी भी विधिक सहायता और सलाह बोर्ड ने यह रिपोर्ट नहीं की है कि अधिवक्ताओं ने कम फीस के आधार पर विधिक सहायता के मामलों को स्वीकार नहीं किया है; और

(ख) अधिवक्ताओं के पारिश्रमिक नियत करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार और राज्य विधिक सलाह बोर्डों की है।

निर्धनों के लिए कानूनी सहायता योजना को क्रियान्वित करने हेतु मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

1044. **श्री अजीत जोगी :**
ठाकुर जगतपाल सिंह :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धनों को कानूनी सहायता दिये जाने

संबंधी योजना को क्रियान्वित करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) विभिन्न राज्यों को यह सहायता किस आधार पर दी जाती है ;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को यह जानकारी है कि कानूनी सहायता के लिये पर्याप्त आबंटन के अभाव में, इस योजना का क्रियान्वयन उचित रूप से नहीं हो पा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) इस प्रयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है । किन्तु मध्य प्रदेश विधिक सहायता और सलाह बोर्ड को 1987-88 के दौरान 1,00,000/- रुपए की रकम दी गई थी ।

(ख) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों को उनके अनुरोध पर उनके कार्यकरण की अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वित्तीय सहायता दी जाती है।

(ग) और (घ) राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड ने सूचित किया है कि विधिक सहायता स्कीम उनके राज्य में समुचित रूप से कार्यान्वित की जा रही है।

Package of Banking Programme for Rural Development

1045. SHRI SURESH PACHOURI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that he had recently announced a package of banking programme intended to speed up rural development;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what are the details of the loans so far provided by the banks under this programme?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) to (c) The Hon. Member is presumably referring to the Service Area Approach in which a group of 15—25 villages would be allotted to a rural and semi-urban bank branch with a view to bring about an orderly and planned disbursement of credit. The work of allocation of villages to bank branches commenced in April, 1988 and has been completed Under this approach, bank branches will have to first conduct a survey of the villages allotted to it and prepare village profiles indicating the types of activities carried on in their service area and having potential for lending. On the basis of village profiles branches will prepare Annual Credit Plans for lending for different identified activities, keeping in view the infrastructural and other facilities available and proposed to be created. Reserve Bank of India (RBI) has issued guidelines to banks for commencing lending under Service Area Approach from 1-4-1989. Hence, the question of providing details of loans provided by banks under this approach does not arise.

Share of Kerala from the Central Sales Tax

1046. SHRI M. A. BABY: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the share of Kerala from the Central Sales Tax for the years 1987-88, 1988-89; and

(b) whether any amount is due to the State in this respect?